EOI No. 001 /MPLPDC/Murrah/2022-23 Bhopal, Dated:26.07.2022

M.P. State Livestock & Poultry Development Corporation

Expression of Interest (EOI) For Supply of Murrah Buffaloes

अभिरूचि की अभिव्यक्ति(EOI) का आवेदन प्रपत्र

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस (म.प्र.) योजनांतर्गत मुर्रा भैंस

प्रदाय हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आवेदन आमंत्रण।

M.P. State Livestock & Poultry Development·Corporation
Main Road No.3, Kotara Sultanabad, Bhopal–462003 (M.P.)
Telephone :(0755) 2776086 (O) , Fax (0755) 2776086
mplpdcbpl@rediffmail.com/ http:www.mplivestock.com

अनुक्रमणिका

सरल क्र.	विवरण
1	प्रभाग–अ : जांच सूची Check list
2	प्रभाग–ब : आवेदनकर्ता के लिए जानकारी एवं मार्गदर्शन Information & instructions to applicant
3	प्रभाग–स : EOI आवेदन नियम एवं शर्ते EOI terms & conditions
4	प्रभाग–द : आवेदन प्रस्ताव Application proposal
5	• आवेदनकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी (General Information about applicant) • घोषणा पत्र (Declaration letter) • सहमति पत्र (Acceptance letter) • काली सूची में नाम नही होने का घोषणा पत्र (Declaration for not being Black listed) • आवेदनकर्ता या आवेदनकर्ता के साथ कार्य करने वाले लोग जिनके रिश्तेदार म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, की जानकारी (Details of personnel working with the applicant and have relatives as gazetted officers in M.P.Livestock & Poultry Development Corporation)
6	परिशिष्ठ–1 अनुबंध प्रपत्र

प्रभाग–अ : जांच सूची
Check list

सरल क्र.	अभिलेख / दस्तावेज
1	• आवेदनकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी (General Information about applicant) • घोषणा पत्र (Declaration letter) • सहमति पत्र (Acceptance letter) • काली सूची में नाम नही होने का घोषणा पत्र (Declaration for not being Black listed) • आवेदनकर्ता या आवेदनकर्ता के साथ कार्य करने वाले लोग जिनके रिश्तेदार म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, की जानकारी (Details of personnel working with the applicant and have relatives as gazetted officers in M.P. Livestock & Poultry Development Corporation) (वांछित प्रपत्र में दस्तावेज राशि रू0 1,000.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना हैं)
2	आयकर विभाग द्वारा जारी PAN/GST अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति। Duly attested copy of PAN/GST documents issued by Income Tax Department/Sales Tax Department.
3	विगत तीन वित्तीय वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21) का सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र तथा इनकम टेक्स रिटर्न की प्रति। Duly attested turnover certificate certified by CA and Incomtex return copy of last 3 yerars (2018-19, 2019-20, 2020-21)

प्रभाग–ब : आवेदनकर्ता के लिए जानकारी एवं मार्गदर्शन

Information & instructions to applicant

आवेदनकर्ता को सलाह है कि संपूर्ण EOI आवेदन प्रपत्र सावधानीपूर्वक पढ़कर समझ ले। आवेदनकर्ता को अपने आवेदन प्रस्ताव, निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा करना होगा।

टीप :–**EOI** आवेदन प्रकिया हेतु निर्धारित दिनांक निम्नानुसार है:–

स0क0	म0प्र0राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की अवस्थाएं	आवेदनकर्ता की अवस्थाएं	प्रारंभ दिनांक एवं समय	अंतिम दिनांक एवं समय
1	EOI आवेदन आमंत्रण सूचना	–	27.07.2022	
2	–	EOI आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि		04.08.2022 (सायं 05.30 बजे तक)
3	EOI आवेदन खोलने की दिनांक– लिफाफा, खोलना एवं मूल्यांकन करना	–	05.08.2022 (पूर्वान्ह 12.00 बजे)	

प्रस्ताव जमा करना:–

आवेदनकर्ता अपने प्रस्तावों को संलग्न प्रपत्र में और प्रभाग–द: EOI आवेदन मोहर बंद लिफाफे में जमा करेंगे। आवेदनकर्ता को अपने प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में ही जमा करने होंगे। सशर्त EOI आवेदन निरस्त की जावेगी।

आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि सभी दस्तावेज व जानकारी जो कि वह प्रस्तुत कर रहा है, वह उनकी जानकारी अनुसार सही व उचित है एवं आवेदनकर्ता ने EOI आवेदन की सभी नियम व शर्ते जो कि EOI आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित है, पढ़ एवं समझ ली है तथा उन्हे मानने हेतु सहमत है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से आवेदनकर्ता आवश्यकतानुसार प्रदाय आदेश की पूर्ती हेतु सहमति व्यक्त करता है।

निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव निरस्त किये जायेंगे।

प्रस्ताव की भाषा एवं मुद्रा :–

आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी में होंगे। यदि आवेदनकर्ता के द्वारा हिन्दी या अग्रेंजी के अतिरिक्त अन्य भाषा में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते है तो उसकी अग्रेजी भाषा में अनुवाद हुई अभिलेख, जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, प्रस्तुत किया जावेगा। अंग्रेजी अनुवाद अभिलेख नही प्रस्तुत करने पर EOI आवेदन निरस्त करने योग्य होगी।

EOI आवेदन व्यय :–

इच्छुक आवेदनकर्ता EOI आवेदन प्रक्रिया में लगने वाले सभी व्यय स्वयं वहन करेंगे। क्रियान्वयन एजेंसी किसी प्रकार के व्यय के लिए उत्तरदायी नही होगा, चाहे EOI आवेदन का परिणाम जो भी हो।

प्रस्ताव निरस्तीकरण का जोखिम :–

कोई भी प्रस्ताव अपूर्ण होने की स्थिति में निरस्त किया जावेगा।

EOI आवेदन का मूल्यांकन :–

चयन समिति द्वारा निर्धारित दिनांक पर EOI प्रस्ताव मूल्यांकन हेतु खोले जायेगे, तत्पश्चात EOI शर्तो पर सही पाये गये आवेदनो में से आवेदनकर्ताओ से वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे।

चयनित आवेदनकर्ता को EOI आवेदन के परिणाम कि सूचना www.mplivestock.org प्रदान की जावेगी।

EOI आवेदन का निरस्तीकरण / EOI आवेदन स्वीकार करना :–

1. किसी भी ऐसी EOI आवेदन पर विचार नही किया जावेगा जो कि उल्लेखित सभी आवश्यकताएं की पूर्ति नही करती हो, साथ ही निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नही की गई हो।

2. स्वीकृति, बंटन उपलब्धता के आधार पर क्रय मात्रा कम या अधिक करने का अधिकार क्रियान्वयन एजेंसी का होगा।

दण्डनीय प्रावधान :–

मध्यप्रदेश शासन के भण्डार क्रय नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रस्ताव को स्वीकार करने का माध्यम :–

प्रस्तावों में केवल लिफाफा बंद दस्तावेजों को स्वीकार किया जावेगा।

प्रदायकर्ताओं को काली सूची में नामांकन का अधिकार :–

प्रदायकर्ता द्वारा किसी नियम एवं शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में उसे पूर्ण रूप से या किसी सामग्री हेतु या निश्चित अवधि हेतु काली सूची में नामांकन करने का अधिकार क्रियान्वयन एजेंसी के पास है। काली सूची में उल्लेखित प्रदायकर्ता एवं उसकी संस्था को भविष्य में विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले EOI आवेदन में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित किया जावेगा।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकस निगम भोपाल (म.प्र.)

प्रभाग–स : EOI आवेदन नियम एवं शर्ते
EOI terms & conditions

1. आवेदन राशि रू0 10,000/–(दस हजार मात्र) नकद/ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाना है। अतः सफलतम आवेदनकर्ता को EOI आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अमानत राशि रू0 10,00,000/– (दस लाख मात्र) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षा निधि के रूप में प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम, भोपाल कार्यालय में जमा करना होगा, जमा सुरक्षा निधि राशि पर ब्याज देय नही होगा।

2. आवेदनकर्ता अपने प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र (टेम्पलेट) में और प्रभाग–द : आवेदन प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा में जमा करेंगे।

3. यदि मुर्रा भैंस के प्रदाय हेतु प्रस्ताव किसी फर्म अथवा कम्पनी द्वारा भरी जाती है, तो फर्म के प्रत्येक भागीदार के हस्ताक्षर होने चाहिये। भागीदार की अनुपस्थिति में उस सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिये, जिसे अनुपस्थित भागीदार ने वैधानिक रूप से अधिकार पत्र दिया हो। भेंस के प्रदाय हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु खुलने के दौरान ऐसे सभी कागजात प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसे अधिकृत किए गये सदस्यों की वैधानिकता तथा फर्म जो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम (Indian Partnership Act) के अंतर्गत पंजीकृत की गई है एवं उसके सदस्यों की संख्या का उल्लेख करते हों। साझेदारी (Partnership Deed)/प्रोप्राईटरशिप (proprietorship)/ Certificate of Incorporation के दस्तावेजो की सत्यापित प्रति, आवेदनकर्ता के बारे में जानकारी प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि आवेदनकर्ता, भागीदार कंपनी है तो, कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टरों के हस्ताक्षर अनिवार्यतः होना चाहिए।

4. एक व्यक्ति या फर्म से एक से अधिक EOI आवेदन प्रस्ताव अलग–अलग नाम से नहीं ली जायेगी। तत्संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. पशुप्रदाय कर्ता द्वारा पशुओ के परिवहन नियम 1978 के तहत पशुओं का परिवहन किया जावेगा। जैसे की प्रति भैंस के लिए 2.25 वर्ग मीटर स्थान सुनिश्चित हो। खाने–पीने एवं आराम की व्यवस्था उत्तम हो, बैडिंग मटेरियल 6 सें0मी0 (पुआल या भूसा) बिछा हुआ हो एवं फर्श फिसलन रहित हो। परिवहन के दौरान अगर पशु की मृत्यु/दुर्धटना होती है, तो उसकी जिम्मेंदारी पशुप्रदाय कर्ता की स्वयं की होगी।

6. पशु प्रदायकों को पशु मध्यप्रदेश के जिलो/विकासखण्ड स्तर पर पहुंचाकर देना होगा। पशु प्रदायकर्ता को कियान्वयन एजेंसी द्वारा संसूचित किसी भी जिले में मुर्रा भैंस प्रदाय करने होंगे।

7. यदि प्रदायक द्वारा हितग्राहियों द्वारा चयनित पशुओं को चयन करने के दिनांक से 30 दिन के अंदर पशु प्रदाय नहीं किया जाता है तो इस संबंध में अपना अभ्यावेदन आदेशकर्ता अधिकारी को समयावधि के एक सप्ताह के पूर्व देगा। यदि पशु प्रदायकर्ता द्वारा उचित कारण दर्शाते हुए समय वृद्वि की मांग की जाती है तब कियान्वयन एजेंसी अपनी विवेक से समय देते हुए लिखित में

संसूचित करेगा तथा दिया गया समय 15 दिन से अधिक नहीं होगा। इस दी गई अवधि के व्यतीत होने पर भी यदि पशु प्रदायकर्ता द्वारा पशु प्रदाय नहीं किया जाता तब कियान्वयन एजेंसी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह क्रय आदेश राशि का 02 प्रतिशत् की दर से अर्थदण्ड वसूली करे तथा अनुबंध को समाप्त कर अन्य आवेदक प्रदायक को पशु प्रदाय के आदेश दिये जाने हेतु कार्यवाही की जावेगी तथा चयनित आवेदनकर्ता की सुरक्षा निधि से राशि वसूल की जावेगी। प्रदायक अनुबंध की शर्तानुसार होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार होंगे तथा 2 प्रतिशत की दर से कुल अनुबंध राशि के अर्थदण्ड की वसूली उनके देयक अथवा जमा सुरक्षा निधि राशि से की जावेगी। तथा प्रदायक को काली सूची में डाला जावेगा। इससे शासन को हुई क्षति की पूर्ति (मय हर्जाना) के लिए पशु प्रदायक बाध्य होगा।

8. पशु प्रदायकर्ता द्वारा विगत 03 वित्तीय वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21) में से किसी एक वर्ष में कम से कम 500 दुधारू/गर्भित मुर्रा भैंस/मुर्रा पाडा का किसी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था को प्रदाय करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रदायित मुर्रा भैंस का प्रकार, संख्या राशि एवं विभाग का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो दुधारू मुर्रा भैंस/मुर्रा पाडा प्रदाय का प्रमाण पत्र संयुक्त संचालक/उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग या म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए अथवा प्रदायकर्ता अपने प्रजनन प्रक्षैत्र के प्रोफाईल (विवरण जिसमें पेरेन्ट स्टॉक, प्रजनन प्रक्षेत्र Pure Breed हो, एवं कम से कम 02 वर्ष से स्थापित हो एवं म.प्र. राज्य के शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था को विगत 03 वर्षो में 500 दुधारू मुर्रा भैंस/मुर्रा पाडा प्रदाय का प्रमाण–पत्र लगाये। प्रक्षेत्र की क्षमता कम से कम 200 हों। इत्यादि का उल्लेख हो) को प्रस्तुत कर सकता है। तदाशय का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग या निगम के कार्यपालिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उसे प्रस्तुत किया जावें।

9 पशुप्रदायको को भैंस (मुर्रा) जिनका औसत दुग्ध उत्पादन 8–10 लि0 प्रतिदिन, हो प्रदाय की जावेंगी। गर्भित भैंस (5 माह या उससे ऊपर) एवं पहली ब्यात 8–10 लि0 प्रतिदिन एवं दूसरी व तीसरी ब्यात 10–12 लि0 प्रतिदिन की क्षमता वाली भैंस होना चाहिए।

9.1 मुर्रा भैंस, जो कि मुर्रा भैंस के ब्रीडिंग ट्रेक्ट हरियाणा से क्रय हुआ होना चाहिए जिसका प्रमाणन स्थानीय पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया हो ।

9.2 पशु प्रदायकर्ता प्रदाय किये जाने वाले पशुओं को निर्धारित उत्पादन एवं उच्च अनुवांशिक क्षमता वाले मुर्रा भैंस, नस्ल विशेषताओं के आधार प्रदाय किये जावेंगे तथा उस ऋतु तक लगने वाले समस्त टीकाकरण एफ.एम.डी, एच.एस. एवं बी क्यू का प्रतिबंधात्मक टीकाकरण लगाये जाने का प्रमाण पत्र जो कि रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस हेतु समस्त पशुओं का हरियाणा राज्य का UID ईयर टेग होना अनिवार्य है।

9.3 प्रदाय किये जाने वाले पशु का स्वास्थ्य परीक्षण, आदेशकर्ता अधिकारी द्वारा संसूचित राज्य के अंदर जिलों में पशु प्रदायकर्ता द्वारा की जावेगी। पशु सभी प्रकार के संक्रामक बीमारियों से मुक्त होना चाहिये।

10. पशु प्रदायकर्ता का प्रस्ताव अमान्य होने पर, प्रस्ताव के अंतिम निर्णय होने की तिथि के बाद इच्छुक पशु प्रदायकर्ता की सुरक्षा निधि बगैर ब्याज के वापस की जायेगी।

11. पशु प्रदायकर्ता, पशु प्रदाय की आदेश प्राप्ति होने पर नियमित एवं निरंतर पशु प्रदाय कर आदेश की पूर्ति सुनिश्चित करेगा।

12. यदि प्रदायकर्ता द्वारा अनुबंध, वर्णित तिथि एवं समय पर नहीं किया जाता, तब सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए पशुधन प्रदाय हेतु प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है। सफल EOI आवेदनकार की सुरक्षा निधि राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

13. वर्ष के दौरान समस्त प्रकार के शासकीय करों की कटौत्री नियमानुसार की जावेगी।

14. पशु प्रदायक द्वारा स्वयं लिए गये पूरे पशु प्रदाय कार्य या कार्य के किसी हिस्से को किसी अन्य को देने का अधिकार नहीं होगा। पशु प्रदाय हेतु EOI आवेदनकार, EOI आवेदन शर्त अनुसार बाध्य होगा।

15. मापदण्ड अनुरूप पशुओं का प्रदाय तथा क्रयादेशों की यथासमय प्रदायगी नही करने की स्थिति में उन्हे Black List किया जाकर, जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी।

16. अनुमोदित दरें जारी दिनांक से दो वर्ष तक प्रभावशील होगी। पशुओं के मूल्य में जारी होने के दिनांक से दो वर्ष तक कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। किन्तु दोनो पक्षों की सहमति पश्चात् अनुमोदित दर एवं शर्तो पर आगामी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु इसके एवज में EOI आवेदन शर्त में कोई संशोधन मान्य नहीं होगा।

17. कियान्वयन एजेंसी के अधिकारी को EOI आवेदनकर्ताओं के साथ चर्चा एवं निगोशियेशन (समझौता) के द्वारा पशुओं के मूल्य निर्धारण करने का अधिकार रहेगा।

18. कियान्वयन एजेंसी के साथ किये गये अनुबंध को इस प्रस्ताव के नियम एवं शर्तो में समाहित माना जायेगा।

19. किसी भी प्रकार से विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में केवल भोपाल के सक्षम न्यायालय में ही क्षेत्राधिकार निहित होगा।

20. जिले में प्रदायित किये जा रहे पशुओं के मापदण्ड, भुगतान या इस EOI आवेदन से संबंधित पक्षकारों के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण, शासन/विभाग के द्वारा नियुक्त Arbitrator के द्वारा किया जावेगा, जो दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।

21. समयावधि के भीतर EOI आवेदन शर्त के अनुसार पशु प्रदायकर्ता द्वारा पशु प्रदायित न किये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा आगामी प्रदायगी आदेश स्थगित किया जाना प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल या उनके द्वारा संसूचित अधिकारी के अधीन होगा।

22. पशु स्वास्थ्य परीक्षण दल द्वारा किसी भी प्रकार की बीमारी (संक्रामक) की पुष्टि किये जाने पर उक्त पशु प्रदायकर्ता के द्वारा स्वयं के व्यय पर प्रदेश से तत्काल वापस ले जाना होगा एवं उन पशुओं का राज्य में विक्रय किया जाना, दान दिया जाना, आवारा पशु के रूप में छोड़ा जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित पशुओं के राज्य में विक्रय किया जाना, दान दिया जाना, आवारा पशु के रूप में छोड़ा जाने की सूचना पर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी। उक्त समस्त निर्णय प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम या उनके द्वारा संसूचित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में निहित होंगे।

23. चयनित आवेदनकर्ता द्वारा आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में अन्य आवेदक पशु प्रदायक से आपूर्ति ली जा सकेगी एवं अंतर की राशि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि से वसूल की जा सकेगी।

24. पशु प्रदाय प्रस्ताव के स्वीकृत होने की स्थिति में, पूर्तिकार को रू. 1000/– के नान–ज्यूडीशियल स्टैंप पेपर पर अनुबंध में हस्ताक्षर करने होंगे, जो प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल द्वारा विनिर्दिष्ट पप्रत्र (परिशिष्ट–1) के अनुरूप होगा।

25. चयनित पशुओं की हितग्राही को वितरण पावती प्रदान की जावेगी जिसे पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पशु प्रदायकर्ता के द्वारा प्रस्तुत देयक व टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ भुगतान की कार्यवाही हेतु म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा। समस्त दस्तावेज व देयक के परीक्षण पश्चात उचित पाये जाने पर शत प्रतिशत राशि का भुगतान निगम कार्यालय में दस्तावेज व देयक प्राप्ति दिनांक के 30 दिवस की अवधि के अन्दर किया जावेगा।

26. EOI आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा संलग्न परिशिष्ट पर EOI आवेदनकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

27. EOI आवेदन शर्तों में, EOI आवेदन खोले जाने के पूर्व तक समस्त आवश्यक परिवर्तन(Amendment), EOI आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने का समस्त अधिकार, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के पास सुरक्षित होगा।

———00——

प्रबंध संचालक
कार्यालय म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम
भोपाल (म.प्र.)

प्रारूप

प्रभाग–द : आवेदन प्रस्ताव

Application proposal

आवेदन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता नीचे उल्लेखित क्रम व प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेज पढ़ने योग्य होना चाहिए। कियान्वयन एजेंसी की आवश्यकतानुसार आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराये गये दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

1. EOI आवेदनकार के बारे में सामान्य जानकारी
   General Information about applicant

2. घोषणा पत्र
   Declaration letter

3. सहमति पत्र
   Acceptance letter

4. काली सूची में नाम नही होने का घोषणा पत्र। (पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य में पशु प्रदाय हेतु ब्लैक लिस्ट न किये जाने का नोटरी के समक्ष घोषणा पत्र)
   Declaration for not being Black listed (letter of declarattion mentioning not being blacklisted by Madhya Pradesh previously)

5. आवेदनकर्ता या आवेदनकर्ता के साथ कार्य करने वाले लोग, जिनके रिश्तेदार पशु चिकित्सा सेवायें, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, की जानकारी।
   Details of personnel working with the applicant and have relatives as gazetted officers in Veterinary Department of M.P Livestok & Poultry Corporation

6. आयकर विभाग द्वारा जारी PAN/GST अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति।
   Duly attested copy of PAN/GST documents issued by Income Tax Department/Sales Tax Department

7. विगत तीन वित्तीय वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21) का सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र तथा इनकम टेक्स रिटर्न की प्रति।
   Duly attested turnover certificate certified by CA and Incom tax return copy of last 3 yerars (2018-19, 2019-20, 2020-21)

आवेदनकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी
एक हजार रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित
General Information about applicant

Notorized on 1000/- rupee Non- judicial stamp paper

आवेदनकर्ता का नाम

फर्म/कम्पनी का नाम (यदि आवेदनकर्ता की कंपनी है/सोसायटी में सहभागिता है, तो इसे पंजीकृत होना चाहिए और इससे समर्थित दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करे)

पता :–

टेलीफोन नंबर :–

ई–मेल नंबर :–

(पार्टनरशिप फर्म/कंपनी की स्थिति में– प्रत्येक पार्टनर/भागीदार के नाम/पता/टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाये)

आवेदक कंपनी/ आवेदनकर्ता की पंजीकरण कमांक, यदि हो :

संबंधित श्रेणी के पशु की प्रतिमास आपूर्ति की संभावित संख्या :

(2)

घोषणा पत्र
Declaration letter

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैने पशु प्रदाय संबंधी प्रस्ताव एवं दस्तावेज के सभी खण्डो/शर्तो को भलीभांति पढ़ और समझ लिया है और मै इन्हे पूर्णरूप से स्वीकार करता हूं। मेरे द्वारा दिये गये विवरण सत्य है और कोई भी वास्तविक सूचना मेरे द्वारा छुपायी नही गयी है।

(3)

सहमति पत्र
Acceptance letter

मैं/हम .... पशु प्रदाय हेतु नियम व शर्तो व EOI आवेदन में उल्लेखित अन्य प्रावधानों के अनुसार नस्लवार निर्धारित मापदण्ड के पशु प्रदाय हेतु सहमत है।

(4) **काली सूची में नाम नही होने का घोषणा पत्र**

Declaration for not being Black listed

मैं/हम .... घोषित करते है कि विगत 5 वर्षो में मध्य प्रदेश राज्य के किसी शासकीय/अर्धशासकीय उपक्रम द्वारा हमें काली सूची में नही रखा गया है। उपरोक्त कथन सत्य है।

(5) **EOI आवेदनकर्ता या EOI आवेदनकार के साथ कार्य करने वाले लोग जिनके रिश्तेदार पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश एवं म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, की जानकारी**

Details of personnel working with the Applicant and have relatives as gazetted officers in Animal Husbandry & Dary Department & M.P. Livestock & Poultry Development Corporation

मेरे साथ कार्य करने वाले लोग जिनके रिश्तेदार पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्यप्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, की जानकारी निम्नानुसार है :–

स.क.	मेरे साथ कार्य करने वाले कर्मचारी का नाम	पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश / म.प्र. राज्य पशुधन एव कुक्कुट विकास निगम में कार्यरत रिश्तेदार राजपत्रित अधिकारी का नाम/पद	रिश्ते का प्रकार	अभियुक्ति

उपरोक्तानुसार सरल क्र0 1 से 5 में दी गई जानकारी पशुप्रदाय हेतु आमंत्रित EOI आवेदन के संदर्भ में उपलब्ध कराई गई है जिन्हें मैं सत्यापित करता हूँ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम :..

पता :..

परिशिष्ट–1

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक.................. को श्री .... आत्मज श्री...................... .... निवासी ....(प्रथम पक्ष) जिसे इसके पश्चात् प्रदायकर्ता कहा गया है, उनके तथा (द्वितीय पक्ष) प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के मध्य यह अनुबंध निम्न शर्तो एवं उपबंधों पर निष्पादन किया जाता है।

1. यह कि प्रदायकर्ता निर्धारित शर्त पर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल से पशु प्रदाय हेतु EOI आवेदन की निर्धारित शर्ते एवं नियम जो कि इस अनुबंध के अविभाज्य अंग है के अनुसार पशु प्रदायकर्ता को अनिवार्य एवं बन्धनकारक रहेंगे।

2. यह कि पशु प्रदायकर्ता, प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तो तथा (रजिस्ट्रेशन डीड)मे लिखे गये शर्तो का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेगा। उल्लंघन करने पर, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल के पास जमा की गई सुरक्षा निधि जब्त की जा सकेगी तथा इससे हुई क्षति की पूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा ।

3. यह कि चयनित आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल के द्वारा समय–समय पर निर्देशित स्थल/स्थानों पर पशु का प्रदाय करेंगे।

4. यह कि प्रदायकर्ता द्वारा किया गया पशु प्रदाय कार्य तभी सम्पूर्ण रूप से निष्पादित समझा जायेगा, जब जिला/विकासखण्ड के प्रभारी पशु चिकित्सालय/ समिति द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावे, तथा पशु प्रदायकर्ता द्वारा जिला/विकासखण्ड के समिति को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जावे।

5. चयनित पशुओं के हितग्राही को वितरण पश्चात निर्धारित प्रारूप में समिति द्वारा पावती प्राप्त की जावेगी तथा पशु प्रदायकर्ता के द्वारा देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेगे।

6. प्रदायकर्ता निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पशुओं को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

7. प्रस्ताव प्रपत्र की शर्ते व नियम की सभी कंडिकाओं का पालन करना अनिवार्य होगा तथा आवश्यक सुरक्षा निधि राशि प्रदायकर्ता द्वारा जमा की जावेगी।

8. चयनित आवेदनकर्ता पशु प्रदायक द्वारा आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में अन्य आवेदक पशु प्रदायक से आपूर्ति ली जा सकती है एवम् अन्तर की राशि चयनित आवेदनकर्ता पशु प्रदायक द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि से वसुल की जा सकेगी ।

9. आवश्यकतानुसार अनुबंध में अन्य शर्तो का समावेश/संशोधन का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल को होगा।

गवाह 1.

आवेदक का नाम......................

2.

पता ....

दिनांक ....